

पंजीकृत

प्रेषक,

राज्य जन सूचना अधिकारी कम उप-निदेशक (पी एण्ड आई)
कार्यालय निदेशक, ई0एस0आई0 हैल्थ केर, हरियाणा।

सेवा में,

Sh. Anurag,
71, Silver City Extension
Zirakpur, Punjab.

यादि क्रमांक: 6/1(367)– आर0टी0आई0–जी–3–2016/
दिनांक

विषय:- **Information under RTI Act, 2005.**

उपरोक्त विषय के संदर्भ में।

2. आप द्वारा मांगी गई सूचना निदेशालय में उपलब्ध शाखा के रिकार्ड अनुसार आपको प्रेषित की जाती है।
3. विभाग द्वारा प्रदत्त सूचना से सहमत ना होने की स्थिति में आप प्रथम अपीलिएट अथोरिटी-कम-निदेशक, कर्मचारी राज्य बीमा स्वास्थ्य संरक्षण, हरियाणा, एस.सी.ओ 803, एन.ए.सी, मनीमाजरा, चण्डीगढ़ को अपील कर सकते हैं।
4. यदि आप उपरोक्त अनुमान से असन्तुष्ट हैं तो आपको अपीलीय प्राधिकारी निदेशक, ई.एस.आई स्वास्थ्य संरक्षण, हरियाणा के सम्मुख अपील प्रस्तुत करने के लिये अनुरोध किया जाता है।

संलग्न:

- Sd -

राज्य जन सूचना अधिकारी—सह—उपनिदेशक (पी एण्ड आई),
कार्यालय निदेशालय, ई0एस0आई0 हैल्थ केर, हरियाणा।

पृ० क्रमांक: 6/1(367)– आर0टी0आई0–जी–3–2016/

दिनांक

इसकी एक प्रति राज्य जन सूचना अधिकारी कम उप-सचिव, कार्यालय अतिरिक्त मुख्य सचिव हरियाणा सरकार, वित्त विभाग के पत्र क्रमांक 22456 दिनांक 25.07.2016 के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित की जाती है।

- Sd -

राज्य जन सूचना अधिकारी—सह— उप निदेशक (पी एण्ड आई)
कार्यालय निदेशालय, ई0एस0आई0 हैल्थ केर, हरियाणा।

पृ० क्रमांक: 6/1(367)– आर0टी0आई0–जी–3–2016/ 9043

दिनांक २६-८-१६

इसकी एक प्रति प्रोग्रामर को कार्यालय की वैब साईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित की जाती है।

Gravy

राज्य जन सूचना अधिकारी—सह— उप निदेशक (पी एण्ड आई)
कार्यालय निदेशालय, ई0एस0आई0 हैल्थ केर, हरियाणा।

१०३२
३/८/१६

SG: GJ
२८/८/१६ ७
२८/८/१६

विषय : सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना उपलब्ध करवाने वारे – श्री अनुराग।

443

उपरोक्त विषय पर आपकी शाखा के अशा० पत्र क्रमांक 8584-87
दिनांक 01.8.2016 के सन्दर्भ में।

विषयलिखित मामले में आपको सूचित किया जाता है कि वर्ष 2011-12 से 2013-14 तक C.A.G. द्वारा ई०एस०आई० हैत्थ केरर हरियाणा का वित्तीय हानि का कोई भी मामला लम्बित नहीं है। अतः बिन्दु नं० १ व २ की सूचना आडिट शाखा की तरफ से शून्य समझी जायें व बिन्दु नं० ३, ४ व ५ विभाग से सम्बन्धित नहीं है।

सेवा में

राज्य जन सूचना अधिकारी
कम उप निदेशक (पी एण्ड आई)।


वरिष्ठ लेखा अधिकारी


अशा० पत्र : एस ए-ई०एस०आई०-आडिट-2016/९६

दिनांक ०२/८/१६

श्री अनुराग - 71, सिलवर सिटी एक्सटैंशन जीरकपुर द्वारा मांगी गई बिन्दु नं 2 की सूचना
निम्न प्रकार से है :-

बिन्दु नं 0	प्रार्थी द्वारा मांगी गई सूचना	विभाग द्वारा दी जाने वाली सूचना
2	Whether the State Govt. of Haryana has taken any action against any officer/official for the loss sustained by the Department. If so, the copy may be supplied.	वर्ष 2010-11 से 2013-14 के दौरान विभाग में किसी अधिकारी/कर्मचारी द्वारा हानि करने वारे सी. ऐ. जी. से कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है तथा निदेशालय स्तर पर कार्यरत किसी अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं की गई है।



प्रशासनिक अधिकारी

FMS
9588
18-8-16

SG
Copy
17/8/16

2
17-8-16
G/B

Subject:- सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना उपलब्ध करवाने वारे—श्री अनुराग।

क्या राज्य—जन—सूचना अधिकारी अपनी आIO पत्र क्रमांक 6/1(367)RTI-G3-2016/8584-87 दिनांक 01.08.2016 की ओर ध्यान देने की कृपा करेंगे?

अधीनस्थ कार्यालयों में कार्यस्त तृतीय श्रेणी कर्मचारियों की बिन्दु न0 2 वारे सूचना निम्न प्रकार हैः—

मांगी गई सूचना	दी जाने वाली सूचना
Whether the State Govt. of Haryana has taken any action against any officer/official for the loss sustained by the Department. If so, the copy may be supplied.	Nil

K
16/8/16
उप निदेशक

सेवा में


राज्य—जन—सूचना अधिकारी,

आशाO क्रमांक 101/88-रथा-1-2016/ 945

दिनांक 17-8-16

श्री अनुराग-71, सिलवर सिटी एक्सटैंशन जीरकपुर द्वारा मांगी गई बिन्दु नं० 2 की
सूचना निम्न प्रकार से है:-

प्रार्थी द्वारा मांगी गई सूचना	विभाग द्वारा दी जाने वाली सूचना
2 Whether the State Govt. of Haryana has taken any action against any officer/official for the loss sustained by the Department. If so, the copy may be supplied.	वर्ष 2010-11 से 2013-14 तक सरकार/सी ए जी से ऐसी कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है कि ईएसओआई० स्वास्थ्य संरक्षण हरियाणा को वित्तीय हानि हुई है। इसलिए किसी भी चिकित्सा अधिकारी के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई है। अतः सूचना शुन्य समझी जाए।


 918716
 Deputy Director
 E.S.I. Health Care, Haryana.
 9-8-16